

संख्या- Fm 63/15-7-97-1673/2000

प्रेषक

नमता श्रीवास्तव,
एम सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रोपि विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुदान

संख्या दिनांक 10 जनवरी, 2000

विषय :- राज्य भाषण्ट एकेडमी विषय खण्ड-2 गोरखीनगर लखनऊ को सी0बी0 एस0
ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

समर्पित विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि चयन संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नईदिल्ली से संबद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन
आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया
जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं अनुसूचित जाति/जनजाति के
कैम्परी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके प्राथमिक शिक्षा
परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों
के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और
यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मांग्यता प्राप्त है तथा
विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नईदिल्ली/
कौंसिल फार दि इम्प्रूवमन्ट स्कूल सर्टीफिकेट इकायमिन्शन नईदिल्ली से
प्राप्त होती है, तो उस परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से जो
प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत मांग्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त
अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बर्नाबी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उत्थातर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निष्पत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जावेगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रमाण पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

महदीया,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।

पूरासंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ।
- 4- निरीक्षक, आन्त भारतीय विद्यालय उपाध्य, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, रायल माउण्ट एकेडमी विभव खण्ड-2 गोमतीनगर, लखनऊ ।
- 6- गाई बुक ।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
उप सचिव।